## एक नजर

### उद्योगपति बाहेती का नम्बर उपलब्ध कराने वाला पकड़ाया

**इंदौर।** तस्कर के उद्योगपति डॉ रमेश बाहेती को लूटने वाले बदमाशों द्वारा मिली धमकी के मामले में कनाडिया पुलिस की टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। वे आरोपी विराग जोशी है जिसने रमेश बाहेती को धमकाने के लिए प्रवीण पल्स के जरिए सूरज रामलेन दुबे को बाहेती के नंबर उपलब्ध करवाए थे। हालांकि आरोपी विराग जोशी ने बताया कि बाहेती की एसटीआई इंडिया लिमिटेड कंपनी की 390 करोड़ की लाइबिलिटी थी जिसे प्रवीण अग्रवाल द्वारा पूर्ण नहीं की जा रही थी। इसे लेकर प्रवीण को अहमदाबाद के जवाहरेश पटेल द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। पटेल से संपर्क में होने पर ही उसने रिश्वतखोरी के लिए किसी को धमकाने के लिए विराग को कहा था।

### चोरी की शंका में संदिग्ध धराया

**इंदौर।** पुलिस ने एक आटो रिक्शा के साथ में संदिग्ध को पकड़ा है। तेजाजी नगर पुलिस के अनुसार बस्ती टल ने संदेह होने पर रिक्शा को रोका था। उसमें मोटर और टूलस सामान भरा हुआ था। इस पर रिक्शा को थाने ले आए। प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपित रिक्शा लेकर चोरी करने के लिए निकला था। पानी की मोटर भी उसने अस्पताल के इलाके से चुराई है। तब तक के जिस आटो में वह घूम रहा था। वह भी चोरी का हो सकता है। वहीं गाड़ी के नंबर के आधार पर भी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

### फरार आरोपी गिरफ्त में

**इंदौर।** एरोड्रम पुलिस ने एक अपने ही जीजा पर प्राणघातक हमला करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। टीआई अशोक पाटीदार ने बताया कि विष्णु मीरन ने विकास की बी कि उसके साले सचिन ने उस पर चाकू से हमला किया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और उसकी तलाश की जा रही थी। बदमाश बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पहले सीहोर, फिर भोपाल और उसके बाद हैदराबाद में उसकी लोकेशन आई थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए का ईनाम भी घोषित किया गया। इसी बीच बदमाश के अहमदाबाद में होने की जानकारी मिली थी। इस पर बदमाश को तंग पर जाकर पकड़ा गया।

# युवक की हत्या, 4 घंटे में पकड़ाए आरोपी

## गाली गालौज से रोका तो कर दिया था हमला, दो घायल

**इन्दौर ।** आजाद नगर में हुई हत्या के आरोपियों को पुलिस ने चार घंटों ही गिरफ्तार किया। आरोपी मृतक के घर के सामने गाली गालौज कर रहे थे, जब युवक ने उन्हें रोका तो हमला कर दिया था। इस दौरान दो लोग बीच बचाव के लिए आए तो उन पर भी चाकू से हमला कर भाग निकले थे। उक्त आरोपीयान को पुर्व मे बाउन्ड ओवर कराया गया था इसके उल्लंघन पर इनके विरुद्ध धारा 122 जा.फौ की कार्यवायी भी किया जाना प्रस्तावित है ।

जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 10.00बजे फरियादी जयन्तीलाल पिता चम्पालाल नि. शिवनगर के साथ आरोपीगण संजय उर्फ भूरा पिता छगनलाल परमार नि. तीन ईमली काकड , जीवन उर्फ अजय पिता रेवाराम बलाई नि. शिवनगर, शुभम पिता मानसिह हरिजन नि. चौधरी पार्क कालोनी मुसाखेडी के गाली गुप्ता कर रहे थे। तो फरियादी ने गाली गुप्ता करने से मना किया इसी बात पर से तीनो आरोपीगणओ ने मिलकर जयन्तीलाल पर प्राण घातक हमला किया जिसमें राजेन्द्र पिता लखन नि. शिवनगर की चाकुओं से जघन्य हत्या कर दी। बीच बचाव करने पहुचे अजय पिता प्रकाश नि. शिवनगर को भी चाकुओं से जान से मार डालने की नियत से हमला किया एवं घातक चोटे पहुचाई। गम्भीर रुप से घायल राजेन्द्र की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी एवं दोनो घायलों का इलाज एम वाय एच मे चल रहा है।

### चाकूबाज बदमाशों ने मचाया उत्पात, छह घायल

बदमाशों ने चंदन नगर में दो अलग-अलग वारदातों में चार लोगों पर चाकू से हमला किया। बाणगंगा क्षेत्र में चाकूबाजी में व्यापारी सहित दो लोग घायल हो गए। चंदन नगर थाना क्षेत्र में देर रात जमकर पांच बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। इन्होंने राहगीरों और एक ट्रक ड्राइवर पर चाकू से हमला किया। सिरपुर तालाब के पास गुजरात से लकड़ी का ट्रक लेकर इंदौर आए ड्राइवर संतोष पर चार बदमाशों ने चाकू से हमला किया और रुपए छीनकर भाग निकले। उसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।दूसरा मामले में चंदन नगर के सहयोग नगर में काम से घर लौट रहे तीन युवकों को चार बदमाशों ने रोका और रुपए छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। जिसमें राजेंद्र, अक्षत और राजीव गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी तरह बाणगंगा क्षेत्र के नंदबाग कॉलोनी में दुकान मंगलकर घर जा रहे एक दुकानदार पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया। मिली जानकारी अनुसार पड़ोसी दुकानदार भूपेंद्र और झुन्नू दुबे का घूर के देखने की बात विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि दुबे ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर भूपेंद्र और मनोज पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें मनोज को चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं भूपेंद्र को मामूली चोट आई है।

## गुरुपूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा

**इंदौर।** गुरुपूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत बक्षीबाग कालोनी में परमपूज्य सदगुरु रामचंद्र महाराज अमृतफलेजी के सान्निध्य में गुरुपूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया गया है। चंद्रग्रहण होने के कारण सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मंदिर में दर्शन एवं गुरुपूजन होगा। महाप्रसादी बुधवार 17 जुलाई को श्री रघुवंशी समाज धर्मशाला मरीमाता चौराहा पर रखी गई है।

## डीआरपी लाइन में मनाया हरियाली महोत्सव

**इन्दौर।** पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ-स्वस्थ प्राकृतिक परिवेश हेतु, शासन व पीएचक्यु द्वारा मनायें जा रहे हरियाली महोत्सव के तहत इन्दौर पुलिस द्वारा डीआरपी लाईन इन्दौर मे वृक्षारोपण किया गया। उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ अति पुलिस महानिदेशक इन्दौर जोन इन्दौर वरूण कपूर के द्वारा किया गया।

उक्त कार्यक्रम मे पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रामीण रेंज संजय तिवारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर शहर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, पुलिस अधीक्षक पूर्व मो. युसूफ कुरैशी, पुलिस अधीक्षक पश्चिम सुरज कुमार वर्मा, अति पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, अति पुलिस अधीक्षक क्राइम श्री अमरेंद्र सिंह, अति पुलिस अधीक्षक यातायात श्री महेंद्र कुमार जैन, उप पुलिस अधीक्षक लाईन श्री अजीतसिंह चौहान, रक्षित निरीक्षक श्री जयसिंह तोमर सहित इन्दौर के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम मे भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के एरिया मैनेजर श्री प्रियर्शी पांडा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

## रुपए चोरी कर लखपति बने चोर गिरफ्तार

### आरोपियों से 13 लाख 10 हजार रुपए जब्त

**इन्दौर।** नौकर ने घर से ही लाखों का माल चुराया और साथी के साथ फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों रुपए बरामद किए।

पुलिस थाना पलासिया पर फरियादी शुभम पिता दिलीप बडजात्या उम्र 23 साल निवासी फ्लेट न 508 ए ब्लाक गुलमर्ग प्राईड कनाडिया रोड इन्दौर के द्वारा चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमे चोरी की शंका घर मे खाना बनाने वाले नौकर श्रीपाल पर किया गया था। भोपाल व नरसिंहपुर में दबिश देकर श्रीपाल उर्फ यशपाल पिता अंबिकाप्रसाद निवासी ग्राम डुगरिया थाना सालीचौका गाडरवारा जिला नरसिंहपुर व हर्ष उर्फ अन्नु पटेल पिता रूपसिंह पटेल निवासी शास्त्री वार्ड सागर हाल मुकाम ब्रज कालोनी वार्ड न 75 करोंद थाना निशांतपुरा भोपाल को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पुछताछ पर आरोपी श्रीपाल ने बताया कि चोरी के रूपयों से गांव की बेची गयी जमीन व साहुकार के यहां गिरवी रखी जमीन व मकान को छुडवाना चाहता था। आरोपी हर्ष ने बताया कि वह चोरी के रूपयों से शानो शौकत के लिए मंहगी गाडी व फोन खरिदना चाहता था। पुलिस टीम द्वारा आरोपियो को गिरफ्तार कर आरोपी श्रीपाल से 9 लाख 50 हजाररुपए नगदी व एक रेडमी मोबाईल फोन और आरोपी हर्ष से 3 लाख 60 हजार रुपए नगदी व रेडमी फोन जप्त किया गया।

# गांजे की तस्करी में गिरफ्तार

## शौक पूरे करने के लिए कर रहे थे अवैध गोरखधंधा

**इंदौर।** क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध रुप से गांजा ले जाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेन्द्र सिंह क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि 02 व्यक्ति एक दो पहिया वाहन से टूरिस्ट बैग में अवैध गाँजा लेकर सांवेर तरफ से आ रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा रोक कर संदिह के आधार पर चेक किया गया जिसमें तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से लगभग 03 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। पकड़े गये दोनों आरोपियों के नाम राजेन्द्र उर्फ राजा मिश्रा पिता विनोद मिश्रा उम्र 30 निवासी ग्राम नरबल, मौनी बाबा आश्रम के सामने, सांवेर रोड, इन्दौर एवं उसके साथी सचिन परमार पिता स्व0 राधेश्याम परमार उम्र 34 साल निवासी 383 सांवेर रोड नरवर, हाल सांवेर रोड मुखर्जी नगर गली नं. 3 बाणगंगा इंदौर हैं। प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि आरोपी राजा उर्फ राजेन्द्र ड्राईवरी का काम करता हैं। जो रोजनदारी पर सवारा वाहन मारूति वेन चलाता है। नवाबी शौक पूरे करने के लिये रूपयों की आवश्यकता होने पर वह अपने साथी के साथ देर रात के समय गांजा बेचने का काम भी करने लगा था। आरोपी ग्राहक से डील कर दो पहिया वाहन से अपने साथी के साथ रात्रि के समय सप्लाय देने के लिये जाता था तथा दिन में मारूति वेन चलाता था।

### चाचा की तेहरवीं पर इंजीनियरिंग भतीजी ने लगाई फांसी

**इंदौर।** चाचा की मौत से तनाव में आई भतीजी ने उनकी तेरहवीं के दिन फांसी लगाकर जान दे दी। हीरा नगर पुलिस के अनुसार शक्करखेड़ी में रहने वाली 24 वर्षीय पूजा पिता विक्रम जायसवाल ने रविवार शाम फांसी लगा ली। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। परिजन ने बताया कि 3 जुलाई को पूजा के चाचा मुकेश जायसवाल (40) ने मस्से की बीमारी से परेशान होकर फांसी लगा ली थी। मुकेश भी उसे बचपन से बेटी समान मानकर दुलार करता था। उसने चाची संगीता से कहा था कि अब तुम्हें ही चाचा की भूमिका निभाना होगी। मुकेश की मौत के बाद रिश्तेदारों का घर पर आना-जाना लगा रहा, लेकिन पूजा किसी से बात नहीं करती थी। रविवार को तेरहवीं का कार्यक्रम एमआर 10 स्थित एक गार्डन में रखा था। मां आशा घर आई, तो वह थक गई थीं। पूजा ने उनके पैर दबाए, चाय पिलाई और फिर पहली मंजिल स्थित अपने कमरे में चली गई। 7.30 बजे जब मां पूजा को देखने पहुंची तो वह फंदे पर थी।

### पर्यावरण है तो कल है जल है तो जीवन है

**इंदौर।** अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इंदौर के सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद स्कूल में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रघु परमार के जन्म दिन के अवसर पर विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाकर हरियाली महोत्सव बनाया साथ ही पौधे लगाकर पृथ्वी की सुरक्षा एवं जल संरक्षण करने का संकल्प भी लिया पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण एवं मानव जाति के भविष्य की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प लिया। इस अवसर पर महासभा के दीपेंद्र सिंह सोलंकी तुलसीराम रघुवंशी केतन भाटी पप्पू ठाकुर सिद्धार्थ सिसोदिया शिवा ठाकुर विनोद सिंह ठाकुर राजबहादुर कुशवाह आर बी सिंह आदि उपस्थित रहे सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों में पौधारोपण वह जल संरक्षण के उपाय करने का संकल्प लिया कहा में सभी ने गोशाला जाकर 40 से अधिक गौ माता को हरी घास की पिंडी खिलाकर जन्मदिन बनाया।

# दुनिया का पहला शिव पार्वती विवाह, सिखाता है मर्यादा में रहना

**इंदौर।** नारी अधिकार और स्वावलंबन के साथ पारिवारिक मूल्यों की पुर्नस्थापना करना और बढ़ते तलाकों पर विराम लगाने के उद्देश्य के साथ तुलिका संस्था की और से तुलिका मिसेज एमपी 2019 प्रतियोगिता ब्यूटी वीथ ब्रेन थीम जाल सभागृह में प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में इंदौर शहर के साथ धार, भोपाल, कटनी, सिहोर, विदिशा,नीमच आदि शहरों से पार्टिसिपेंट्स शामिल हुईं।

प्रतियोगिता के दूसरे दिन सोमवार को इंडो वेस्टर्न राउंड आयोजित किया गया जिसमें 18 से 40 वर्ष उम्र की महिलाएं ने पार्टिसिपेट किया। इस राउंड में ननद भाभी , देवरानी जेठानी , बेस्ट कपल सहित 42 पार्टिसिपेंट्स ने कैट वॉक कर अपने टैलेंट को दिखाया। इस अवसर पर तुलिका स्मारिका का विमोचन एसएसपी रुची वर्धन मिश्र, पूर्व मिस एमपी अनुराधा दुबे ने किया। विनिता त्रिवेदी अध्यक्ष , महासचिव संध्या नायर भी उपस्थित थीं। प्रतियोगिता को जज डॉ. रश्मि साघ, विशाखा श्रीवास्त भोपाल, इशिता राणा पूर्व मिस इंडिया ने किया। विजेता को क्राउंन , सेश और मूमेंटो दिया। टाइटल-श्रीष्ठ सास-बहू, ननद-भाभी, मां- बेटी, देवरानी-जेठानी के साथ परफेक्ट कपल चुने गए। इसके साथ ही तुलिका सुसनवरा, तुलिका सौम्य मुस्कान, तुलिका स्वस्थ और सुन्दर त्वचा, तुलिका सुन्दर बाल आदि भी चुने गए।

**नाम परिवर्तन सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम **मोनिका लाहोटी** था जो कि बदलकर मेरा नाम **मोनिका असावा** हो गया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

**मोनिका असावा**
पता: 12,आनंद नगर,
भंवरकुवा रोड़, इन्दौर-452001

**GORANI INDUSTRIES LIMITED**
Regd.Office: Plot No.32-33, Sector-F, Sanwer Road, Industrial Area, Indore - 452 015 (M.P) India
Phone: 0731-2723201-3
Fax No.: 0731-2723200
email: sanwer.road@yahoo.in
goraniindustrieltd@gmail.com
Website: www.goraniindustries.com
GSTIN: 23AAACG6274B1Z2

**NOTICE**

NOTICE is hereby given in pursuance to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of Directors of the Company Gorani Industries Limited will be held on Wednesday, 07th August, 2019, to consider, inter alia, the Unaudited Quarterly Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2019. A copy of the said notice and Unaudited Quarterly financial results shall also be available on Company's website at www.goraniindustries.com and also on Stock exchange's website at www.bseindia.com.

For Gorani Industries Limited
Anil Gorani
Place: Indore (Holding DIN: 00055540)
Date: 13.07.2019 (Whole-Time Director)

**कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर**
क्र./3833/INDLP-5628/19/ग्रानि/2019, इन्दौर, दिनांक 04/07/19

**ज्ञापन**

**म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14(3) प्रारूप (ड) के उपबंध दी गई अनुज्ञा में परिवर्तन की दशा में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना**

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आवेदक- 1. श्री दीपचंद पिता श्री गोकुलप्रसाद हार्डिया, 2. श्री विकास पिता श्री गोकुलप्रसाद हार्डिया, 3. श्री महेश कुमार पिता श्री गोकुलप्रसाद हार्डिया, 4. श्रीमती मनुबाई बंसा स्व. श्री सुदर्शन कुमार, 5. श्री श्रवणकुमार पिता श्री भगतलाल, 6. श्रीमती अनिता बाई पति स्व. श्री सुदर्शन कुमार, 7. श्री प्रवेश कुमार पिता स्व. श्री सुदर्शन कुमार, 8. श्रेकी पिता स्व. श्री सुदर्शन कुमार, 9. प्रीति पिता स्व. श्री सुदर्शन कुमार, 10. श्रीमती गीताबाई पति स्व. श्री हिरोमकुमार, 11. श्री अभिषेक पिता स्व. श्री हितेश कुमार, 12. साधना पति स्व. श्री हितेशकुमार, 13. स्वाति पिता स्व. श्री हितेश कुमार, निवासी-4/1, नवलखा मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.) ने कॉलोनाईजर्स मेसर्स श्री महालक्ष्मी डेवलपर्स कॉलोनाईजर्स एवं पार्टनर श्री तरुण पिता स्व. श्री चिटुकलाल खंडेड़, धारा- 27, समन्वय, 19/3, बड़वाली लाखा, फार्च सर्वेक्षण, ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा नीचे दिये गये मानचित्र में उपदर्शाया हेतु आवेदन दिया है:-

**(क) परियोजना का नाम :-** आवासीय भूखण्ड/गृह विकास उपयोग।

**(ख) आवेदित (आपत्तिजित/ग्राम का नाम एवं खसरा क्रमांक) :-** सूर्य में ग्राम पालदा, तहसील व जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 287/1/1/2, 287/2, 288/1/2, 289/1/2, 227, 285, 286, 287/1/1/1, 288/1/1, 289/1/1 कुल रकबा 3.519 हेक्टेयर भूमि पर आवेदक- 1. श्री दीपचंद पिता श्री गोकुलप्रसाद हार्डिया, 2. श्री विकास पिता श्री गोकुलप्रसाद हार्डिया, 3. श्री महेश कुमार पिता श्री गोकुलप्रसाद हार्डिया, 4. श्रीमती मनुबाई बंसा स्व. श्री सुदर्शन कुमार, 5. श्री श्रवणकुमार पिता श्री भगतलाल, 6. श्रीमती अनिता बाई पति स्व. श्री सुदर्शन कुमार, 7. श्री प्रवेश कुमार पिता स्व. श्री सुदर्शन कुमार, 8. श्रेकी पिता स्व. श्री सुदर्शन कुमार, 9. प्रीति पिता स्व. श्री सुदर्शन कुमार, 10. श्रीमती गीताबाई पति स्व. श्री हिरोमकुमार, 11. श्री अभिषेक पिता स्व. श्री हितेश कुमार, 12. साधना पति स्व. श्री हितेशकुमार, 13. स्वाति पिता स्व. श्री हितेश कुमार, (क्रमांक 12 एवं 13 तकै अंश पुरुषार थी अभिषेक पिता स्व. श्री हितेश कुमार) राणी निवासी- 4/1, नवलखा मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.) के नाम से कार्यालयीन पत्र क्रमांक 514-522/INDLP-739/14/ग्रानि/2015, इन्दौर दिनांक 19/01/2015 द्वारा आवासीय भूखण्ड/गृह विकास उपयोग हेतु सशर्तीय अभिन्यास स्वीकृत किया गया था।

कालान में आवेदकों द्वारा विषयांकित भूमि पर पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में आंशिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप आवासीय भूखण्डीय विकास उपयोग हेतु पुनः संशोधित अभिन्यास में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 29(3) के अंतर्गत अनुमति चाही गयी है।

**(ग) विकास का प्रयोजन :-** आवासीय भूखण्डीय विकास उपयोग।

**(घ) स्वीकृति क्र. एवं दिनांक :-** 514-522/INDLP-739/14/ग्रानि/2015, इन्दौर, दिनांक 19/01/2015.

पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में यदि उपदर्शाया किया जाता है, तो उसे परियोजना से जुड़े व्यक्तियों के हित प्रभावित होने की संभावना है।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति उपर्युक्त्तरी से संबंधित अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आवेदकगण/ के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अभिन्यास के ऑरे तथा प्रस्तावित उपदर्शाया अभिन्यास का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान किया जा सकता है।

**संयुक्त संचालक, नगरी संचालक**

# अग्रवाल युवक-युवती परिचय सम्मेलन में 130 रिश्तों की बात आगे बढ़ी

**इन्दौर।** एक ही छत के नीचे परिचय सम्मेलन के आयोजन से समय, श्रम और धन की बचत होती है। इस तरह के आयोजन सतत होना चाहिए, क्योंकि यह आज प्रासंगिक है। ये विचार समाजसेवी और उद्योगपति पवन सिंघल के हैं, जो उन्होंने श्री अग्रवाल समाज सोशल ग्रुप एवं परिचय बेला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय हायर एज्युकेशन एवं हाइ प्रोफाइल युवक-युवति परिचय सम्मेलन में मुख्य अतिथि बतौर व्यक्त किए। इस मौके पर पवन सिंघानिया (मोयरा ग्रुप), राजेन्द्र गर्ग, विनोद अग्रवाल, टीकमचंद गर्ग, विष्णु बिंदल, गणेश गोयल एवं कांग्रेस नेता शैलेष गर्ग ने भी इस आयोजन की भूरी-भूरी प्रशंसा की कार्यक्रम के विशेष अतिथि मोहनलाल अग्रवाल, राजेन्द्र गोयल, अमिताभ सिंघल, सुरेश अग्रवाल, गोविंद गर्ग थे।यह जानकारी कार्यक्रम संयोजक विनोद बंसल और उदय गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि बायपास रोड़ स्थित होटल ग्रैण्ड शहनाई में आयोजित इस सम्मेलन में अमेरिका, जर्मनी, आस्ट्रेलिया सहित देश के 12 राज्यों से 205 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिसमें से 130 रिश्तों पर बात आगे बढ़ी। अतिथि स्वागत राजेन्द्र अग्रवाल, जयश्री निशा गोयल, संतोष अग्रवाल, शोभा रामदास गर्ग ने किया। अतिथियों को प्रतिक चिन्ह जयश्री मित्तल, निशा गोयल, रेखा मंगल, शशी ऐरन ने किया। कार्यक्रम का संचालन दीपा अग्रवाल और प्रद्युम्न जैन ने किया। अंत में आभार माना उदय गुप्ता ने।

**NATRAJ PROTEINS LTD.**
CIN L00153MP1990PLC006090
Regd. Off: Nagpur Kalan, Ordinance Factory Road, Itarsi (M.P.) 461111
Contact No.07572-262636, 262637, 262640, Fax No. 07572-262639,
**Email Id: natrajproteinltd@rediffmail.com**

**NOTICE** pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is hereby given that the Meeting of the Board of directors of the Company will be held on **Wednesday, the 31ᵗʰday of July, 2019 at 3:00 P.M.** at the Registered Office of the Company to consider and approve the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2019 along with other routine business.
For further details, please refer the web link-
http://www.natrajproteins.com/&http://www.bseindia.com/stock-share-price/natraj-proteins-ltd/natrajpr/530119/

For, NATRAJ PROTEINS LTD.
Sd/-
Place: Itarsi POOJA AGRAWAL
Date: 15thJuly, 2019 COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

**न्यायालय तहसीलदार नेपानगर जिला- बुरहानपुर (मप्र)**
**विज्ञप्ति**
क्रमांक/क/वा.ना./2019/335 नेपानगर, दिनांक 28.6.2019

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक एकनाथ पिता तुकाराम (मृतक) एवं श्रीमती सुशीलाबाई विधवा एकनाथ वाघे वगैरा ने एक आवेदन पत्र म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सारोला तहसील नेपानगर की कृषि भूमि खसरा नंबर 101 एवं 112 क्रमशः क्षेत्रफल 0.87, 0.61 हेक्टेयर अनावेदक का नाम विलोपित किया जाकर नामांतरण करने का निवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो वह न्यायालय में दिनांक 26.7.2019 को अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विज्ञप्ति आज दिनांक 26.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

स्थान- नेपानगर तहसीलदार
दिनांक - 28.6.2019 नेपानगर

**यूको बैंक UCO BANK** (भारत सरकार का उपक्रम)
आंचलिक कार्यालय: 380, साकेत नगर, द्वितीय मंजिल, इंदौर-452018, फोन : 0731-2438305

**आधिपत्य हेतु सूचना पत्र अचल संपत्तियों के लिए नियम 8(1)**

चूंकि, **यूको बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (संशोधित) का सपठित नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके ऋणी/बंधककर्ता **1. श्री फिरोज खान पिता श्री मुर्तुजा खान एवं 2. श्रीमती नूरजहां पति श्री फिरोज खान को दिनांक 18.04.2019 को मांग सूचना** उसमें उल्लेखित रकम का जो **रु. 22,69,759.00 (रुपये बाईस लाख उनसत्तर हजार सात सौ उनसाठ मात्र)** ब्याज, आकस्मिक खर्च, लागत इत्यादी उक्त सूचना प्राप्ति दिनांक से **60** दिनों के भीतर ऋण राशि अदा करने के अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता ने अदायगी में चुटी की है, अतः ऋणगृहिताओं तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित संपत्तियों का आधिपत्य **दिनांक 10.07.2019** को अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है। ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेषतः और सर्वसाधारण को सतर्क किया जाता है कि इन संपत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करे, यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **यूको बैंक, जवाहर मार्ग शाखा, इन्दौर** के ऋणगृहिताओं के समक्ष **रु. 22,69,759.00 (रुपये बाईस लाख उनसत्तर हजार सात सौ उनसाठ मात्र)** ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा।

**उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।**

| शाखा का नाम | ऋणियों के नाम | सूचना दिनांक | बकाया राशि (₹) | अचल संपत्तियों का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| जवाहर मार्ग शाखा, इन्दौर | 1. श्री फिरोज खान पिता श्री मुर्तुजा खान 2. श्रीमती नूरजहां पति श्री फिरोज खान | 18.04.19 10.07.19 | 22,69,759/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे | फ्लेट नं. 404, गुजराती भवन, 1/1, स्नेहलता गंज, इन्दौर (म.प्र.) पर स्थित संपत्ति का सान्चिक बंधक, **क्षेत्रफल: 95.07 वर्गमीटर, संपत्ति मालिक: श्री फिरोज खान पिता श्री मुर्तुजा खान,** पंजीकृत सेल डीड नं. ए12318, बुक नं. 1-ए, वोल्यूम नं. 1154, फ्लेस-9, सिरीयल नं. 41 से 49, एसआरओ इन्दौर में दिनांक 30.12.2014 फंजीकृत, **सट्टू-सीमा उत्तर:** फ्लेट नं. 405, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 403, **पूर्व:** पैसेज, **पश्चिम:** समयक भवन |

**स्थान : इन्दौर, दिनांक : 16.07.2019** **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक**